

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6 नौएडा(उ०प्र०)

संख्या:-नौएडा/मु०वा०नि०/2022/III-254/ 12-27

दिनांक: 14-12-2022

सेवा में,

मैसर्स जे०पी० इन्फ्राटेक लि०

सेक्टर-128, नौएडा

विषय:- मै० जे०पी० इन्फ्राटेक लि० द्वारा सेक्टर-128, 129, 131, 133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं० बी-35, बी-36, बी-37, बी-38, बी-41बी, व बी-43 (कोसमोस) सेक्टर - 134, नौएडा के भवन मानचित्र के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया आपके द्वारा सेक्टर-128, 129, 131, 133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं० बी-35, बी-36, बी-37, बी-38, बी-41बी, व बी-43 (कोसमोस) सेक्टर - 134, नौएडा के प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के पुनर्वैधीकरण हेतु आवेदन के साथ पुनर्वैधीकरण शुल्क का सत्यापन के आधार पर संदर्भित योजना के दिनांक 01.11.2011 को स्वीकृत मानचित्रों को पुनर्वैधीकृत किया जाता है। आपके द्वारा सन्दर्भित पॉकेट का पुनर्वैधीकरण प्राधिकरण द्वारा दिनांक 24.01.2020 को 5 वर्ष हेतु किया गया था। अतः आपके अनुरोध पर योजना के पुनः पुनर्वैधीकृत मानचित्रों की अधिकतम वैधता-5 वर्ष (दिनांक 30.09.2021 से 29.09.2026 तक) के लिए अनुमत्य होगी।

कार्यदायी संस्था, कन्सेशन एग्रीमेंट एवं बिल्डर बायर एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार योजना को निर्धारित अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। पुनर्वैधीकृत मानचित्र में दर्शित वैधता समय किसी भी स्थिति में कन्सेशन एग्रीमेंट की शर्तों को प्रभावित नहीं करता है।

ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं० बी-35, बी-36, बी-37, बी-38, बी-41बी, व बी-43 (कोसमोस) सेक्टर - 134, का क्षेत्रफल	= 3,00,851.65 वर्ग मी०
कुल स्वीकृत एफ.ए.आर.	= 7,53,831.85 वर्ग मी०
कुल स्वीकृत तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ.ए.आर.)	= 3,73,395.40 वर्ग मी०
कुल स्वीकृत सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ.ए.आर.)	= 73,069.88 वर्ग मी०
कुल स्वीकृत क्षेत्रफल(एफ०ए०आर०+नॉन एफ०ए०आर०)	= 12,00,297.45 वर्ग मी०

योजना में कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल

निर्मित एफ०ए०आर० क्षेत्रफल	= 4,12,743.35 वर्ग मी०
निर्मित प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 1,00,063.38 वर्ग मी०
निर्मित द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 1,00,581.28 वर्ग मी०
निर्मित सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 36,019.57 वर्ग मी०
कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल(एफ०ए०आर० + नॉन एफ०ए०आर०)	= 6,49,407.58 वर्ग मी०

पुनर्वैधीकरण हेतु क्षेत्रफल

शेष एफ०ए०आर० क्षेत्रफल	= 3,41,088.5 वर्ग मी०
शेष प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 86,677.43 वर्ग मी०
शेष द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 86,073.31 वर्ग मी०
शेष सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 37,050.31 वर्ग मी०
कुल पुनर्वैधीकृत क्षेत्रफल(एफ०ए०आर० + नॉन एफ०ए०आर०)	= 5,50,889.55 वर्ग मी०

REVALIDATION

नियम व शर्तें:-

1. संदर्भित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट की भवन मानचित्र की स्वीकृति पत्र दिनांक 01.11.2011 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेगी।
2. योजना में 64.70 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की देयता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-25579/2021 में जो भी अंतिम निर्णय पारित होगा, वह कार्यदायी संस्था को मान्य होगा।
3. कार्यालय आदेश दिनांक 15.09.2022 के अनुसार कार्यदायी संस्था के स्वयं के द्वारा विकसित की जा रही योजनाओं में अनुमन्य समयवृद्धि दिनांक 31.12.2025 तक निःशुल्क प्रदान की गयी है। उक्त तिथि के उपरान्त प्राधिकरण की प्रचलित नीति के अनुसार नियमानुसार समयवृद्धि शुल्क देय होगा।
4. कार्यदायी संस्था को परिसर के अन्दर ही कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट स्थापित करना होगा।
5. उ0प्र0 रियल स्टेट रेग्युलेट्री एक्ट-2016, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के समय-समय पर लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों/आदेशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन कार्यदायी संस्था/पट्टा धारक/उप पट्टा धारक पर बाध्यकारी होगा।
6. प्राधिकरण द्वारा सैक्टर-128,129,131,133 व 134 का दिनांक 20.02.2015 को स्वीकृत पुनरीक्षित भू-विन्यास मानचित्र में उल्लेखित शर्तों का पालन करना होगा।
7. इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग की व्यवस्था कार्यदायी संस्था को परिसर के अंदर करना होगा।

संलग्न:- पुनर्वैद्यीकरण मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि: तहसीलदार, (भूलेख) को सूचनार्थ।

भवदीय,

Map for proposed Building is as per Byo
Laws. Submitted for Approval Please

Asstt.

AssttArch.

Architect

नाम

पद

नौएडा

(इशियाक अहमद)

बहादुरादक (नियोज)

नौएडा

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6 नौएडा(उ०प्र०)

संख्या:-नौएडा/मु०वा०नि०/2020/III-128/ 02

दिनांक: 24-1-20

सेवा में,

मैसर्स जे०पी० इन्फ्राटेक लि०**सेक्टर-128, नौएडा**

बिषय:- मै० जे०पी० इन्फ्राटेक लि० द्वारा सेक्टर-128,129,131,133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं० बी-35, बी-36, बी-37, बी-38, बी-41बी, व बी-43 (कोसमोस) सेक्टर - 134, नौएडा के भवन मानचित्र के पुर्नवैधीकरण के सम्बन्ध में ।

कृपया आपके द्वारा सेक्टर-128,129,131,133 व 134 में विकसित की जा रही टॉऊनशिप योजना के अन्तर्गत नियोजित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं० बी-35, बी-36, बी-37, बी-38, बी-41बी, व बी-43 (कोसमोस) सेक्टर - 134, नौएडा के प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के पुर्नवैधीकरण हेतु आवेदन के साथ पुर्नवैधीकरण शुल्क का लेखा विभाग द्वारा सत्यापन के आधार पर संदर्भित योजना के दिनांक 01.11.2011 को स्वीकृत मानचित्रों को पुर्नवैधीकृत किया जाता है । पुर्नवैधीकृत मानचित्रों की अधिकतम वैधता -5 वर्ष दिनांक 31.10.2016 से 30.09.2021 तक के लिए अनुमन्य होगी ।

कार्यदायी संस्था, कन्सेशन एग्रीमेंट एवं बिल्डर बायर एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुसार योजना को निर्धारित अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। पुर्नवैधीकृत मानचित्र में दर्शित वैधता समय किसी भी स्थिति में कन्सेशन एग्रीमेंट की शर्तों को प्रभावित नहीं करता है।

ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट सं० बी-35, बी-36, बी-37, बी-38, बी-41बी, व बी-43 (कोसमोस) सेक्टर - 134, का क्षेत्रफल	= 12,00,297.45 वर्ग मी०
कुल स्वीकृत एफ.ए.आर.	= 7,53,831.85 वर्ग मी०
कुल स्वीकृत तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ.ए.आर.)	= 3,73,395.40 वर्ग मी०
कुल स्वीकृत सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ.ए.आर.)	= 73,069.88 वर्ग मी०
कुल स्वीकृत क्षेत्रफल(एफ०ए०आर०+नॉन एफ०ए०आर०)	= 12,00,297.45 वर्ग मी०

योजना में कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल

निर्मित एफ०ए०आर० क्षेत्रफल	= 4,12,743.35 वर्ग मी०
निर्मित प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 1,00,063.38 वर्ग मी०
निर्मित द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 1,00,581.28 वर्ग मी०
निर्मित सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 36,019.57 वर्ग मी०
कुल अधिभोग निर्गत क्षेत्रफल(एफ०ए०आर० + नॉन एफ०ए०आर०)	= 6,49,407.58 वर्ग मी०

पुर्नवैधीकरण हेतु क्षेत्रफल

शेष एफ०ए०आर० क्षेत्रफल	= 3,41,088.5 वर्ग मी०
शेष प्रथम तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 86,677.43 वर्ग मी०
शेष द्वितीय तहखाना क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 86,073.31 वर्ग मी०
शेष सेवा क्षेत्रफल (नॉन एफ०ए०आर०)	= 37,050.31 वर्ग मी०
कुल पुर्नवैधीकृत क्षेत्रफल(एफ०ए०आर० + नॉन एफ०ए०आर०)	= 5,50,889.55 वर्ग मी०

नियम व शर्तें:-

1. संदर्भित ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट की भवन मानचित्र की स्वीकृति पत्र दिनांक 01.11.2011 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेगी।
2. योजना में 64.70% की अतिरिक्त प्रतिकर की देयता अधिभोग प्रमाण पत्र के आवेदन के समय नियमानुसार जमा कराना होगा।
3. संदर्भित योजना में कार्यदायी संस्था को समय वृद्धि के सम्बन्ध में नौएडा प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का निर्णय मान्य होगा तथा इससे बायर्स बिल्डर एग्रीमेंट प्रभावित नहीं होगा।
4. कार्यदायी संस्था को परिसर के अन्दर ही कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लान्ट स्थापित करना होगा।
5. उ0प्र0 रियल स्टेट रेग्युलेट्री एक्ट-2016, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के समय-समय पर लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों/आदेशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन कार्यदायी संस्था/पट्टा धारक/उप पट्टा धारक पर बाध्यकारी होगा।

संलग्न:- पुर्नवैद्यीकरण मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि: तहसीलदार (भूलेख) को सूचनार्थ।

भवदीय,

Map for proposed Building is per Bye
Laws. Submitted for approval please.
Asstt. Archt. Architect

नाम
पद
(एस. सी. गौड़)
महाप्रबन्धक-नियोजन
नौएडा

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ०प्र०)

संख्या नोएडा/वरि०न०नि०/ III - 254/472

दिनांक: 01-11-2011

सेवा में,

मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड**सेक्टर : 128****नोएडा**

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 30.09.10 संदर्भ में आपके द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे (पुराना नाम ताज एक्सप्रेसवे) के अन्तर्गत निष्पादित कन्सेशन एग्रीमेंट के प्राविधानों के तहत **पाकेट सं० बी - 35, 36, 37, 38, 41B एवं 43 सेक्टर- 129 व 134(कोसमोस) नोएडा** में हस्तान्तरित भूमि पर टाऊनशिप विकसित करने के लिए निर्धारित आवासीय उपयोग हेतु भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग के भवन निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम **5 वर्ष** (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव(प्रोजेक्टेड) न हों।
6. विजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। कार्यदायी संस्था तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. कार्यदायी संस्था मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. कार्यदायी संस्था द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था नोएडा प्राधिकरण के प्ररियोजना अभियन्ता के साथ समन्वय करने एवं निरीक्षण के उपरान्त ही संस्था उसे ढकेगी।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम **5 वर्ष** की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते संस्था को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. कार्यदायी संस्था निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।
15. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत योजना की सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र दिनांक 23.03.11 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करना होगा।
16. उत्तर प्रदेश अपार्टमेन्ट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंगन है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन को प्रयोग में नहीं ले सकते हैं।

कन्सेशन एग्रीमेन्ट के तहत टाउनशिप विकसित करने हेतु सैक्टर-151 में हस्तान्तरित भूमि का विवरण निम्नवत है:-

Sl. No.	LAND USE DESTRIUTION	AREA (ACRES)	%age
1.	Roads and Transportation	7.809	12.00
2.	Recreational Green	9.762	15.00
3.	Commercial	2.603	4.00
4.	Institutional/Facilities	8.421	12.94
5.	Residential	36.485	56.06
Total		65.08 Acres or 26.35 Hectares	100%

कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण योजना में कुल हस्तान्तरित भूमि **1072.84 + 65.08**
= 1137.92 एकड. (46,05,100.00 वर्ग मी०)

- कन्सेसनर एग्रीमेन्ट के तहत कुल हस्तान्तरित भूमि (1137.92 एकड = **46,05,100 वर्ग मी०**)
पर अधिकतम अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 1.5 = **69,07,650.00 वर्ग मी०**
- योजना (सैक्टर-128, 129, 131, 133 एवं 134) में आवासीय उपयोग हेतु कुल निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल
= **24,41,347.073 वर्ग मी० (603.27 एकड.)**
- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @ 40%
(वर्तमान में प्रचलित भवन विनियमावली के अनुसार) = **9,76,538.820 वर्ग मी०**
- अनुमन्य एफ.ए.आर. (आवासीय उपयोग हेतु निर्धारित = **48,82,694.146 वर्ग मी०**
भूमि 603.27 एकड.) के सापेक्ष में अधिकतम अनुमन्य
एफ.ए.आर. @ 2.0 (प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 11.08.08
में लिए गये के अनुरूप

विभिन्न तलों पर किये गये प्रस्तावित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	अनुमन्य क्षेत्रफल एफ.ए.आर. (वर्ग मी०)	प्रस्तावित क्षेत्रफल पाकेट सं० बी-35,36,37, 38, 41B व बी-43 (वर्ग मी०)
भूतल	9,76,538.82	45913.29
प्रथम तल		43021.78
द्वितीय तल		42801.73
तृतीय तल		42801.73
चतुर्थ तल		42801.73
पंचम तल		42801.73
छटवां तल		42801.73
सातवां तल		42801.73
आठवां तल		42801.73
नौवा तल		42801.73



दसवां तल		42801.73
ग्यारहवां तल		42801.73
बारवां तल		42801.73
तेरहवां तल		22781.57
चौदहवां तल		42801.73
पन्द्रहवां तल		42801.73
सोलहवां तल		42801.73
सत्रहवां तल		30355.56
अठ्ठारहवां तल		5683.97
उन्नीसवां तल		5683.97
बीसवां तल		1167.49
कुल एफ.ए.आर.	48,82,694.146	7,53,831.85
तहखाना तहखाना : प्रथम तहखाना : द्वितीय कुल क्षेत्रफल	भूखण्ड के चारो ओर की साइड से न्यूनतम 6.0 मी० (पार्किंग/सर्विसेज हेतु)	1,86,740.81 1,86,654.59 3,73,395.40
सेवा क्षेत्रफल		73,069.88
कुल क्षेत्रफल (तहखाना एवं सेवा सहित)		12,00,297.45

सम्पूर्ण योजना के लिए निर्धारित एफ0ए0आर0 एवं शेष एफ0ए0आर0 का विवरण:-

प्रश्नगत योजना में कुल भूमि का क्षेत्रफल (सैक्टर -128, 129, 131, 133, 134 एवं 151) जिस पर प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23.03.2011 को भूविन्यास एवं भूउपयोग की स्वीकृति प्रदान की है :-

= 1072.84 + 65.08 = 1137.92 एकड़ = 46,05,100.00 वर्ग मीटर

कन्वेंसन एग्रीमेंट के प्रावधानों के अन्तर्गत योजना के लिए अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 1.5 = 46,05,100.00 x 1.5 = 69,07,650.00 वर्ग मीटर

एफ0ए0आर0 विवरण-

Sl. No.	Description	Land Use	Date of Approval	Approved FAR (Sqm.) by NOIDA till date	Comm. Approved FAR area (Sqm.)	Revised FAR	Cum m. Revised FAR	Balance FAR (Sqm.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Primary School	I-3/1	Institutional	24.11.08	10026.23	10026.230		68,97,623.77
2.	Secondary School	I-2/1	Institutional	24.11.08	14006.13	24032.360		68,83,617.64
3.	Group Housing B1/B2/B3	B1/B2/B3	Residential	24.03.09	323628.295	347660.655		65,59,989.345
4.	Group Housing B4	B4	Residential	29.10.09	253144.64	600805.295		63,06,844.705
5.	Group Housing (Revise)	B1, B2, B3	Residential	11.10.11	(323628.295)	620789.370	343612.373 (19984.075)	62,86,860.627
6.	Group Housing Aman	151	Residential		324587.222	945376.592		59,62,273.405
7.	Group Housing Kosmos	B-35, 36, 37, 38, 41 B & 43	Residential		7,53,831.85	16,99,208.44		52,08,441.555
					945376.592			

[Handwritten signatures]

प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल = 55,571.41 वर्ग मी०
 प्रस्तावित एफ०ए०आर० = 7,53,831.85 वर्ग मी०
 प्रस्तावित ड्येलिंग यूनिट्स = 7542 यूनिट्स

Map for proposed Building is per Bye Laws. Submitted for approval please.

PL Area (Proposed Area) Arch Area

प्रतिलिपि:

1. मुख्य परियोजना अभियन्ता, नौएडा को सादर-सूचनार्थ ।
2. विशेष कार्याधिकारी (भूलेख), नौएडा को सादर सूचनार्थ ।
3. मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड की नियोजन विभाग की मास्टर फाइल में रिकार्ड update करने हेतु ।

नाम.....
 पद.....

नौएडा

01/11/17

जनसभा वार्डिक
 नृप नरसिंह निबंजक
 नौएडा